पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, आईसीएडीआर बिल्डिंग, प्लॉट नं. 6, संस्थागत क्षेत्र फेज II
वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
फोन – 011–26897948

सार्वजनिक सूचना

हाल ही में प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कुछ संगठन, गैर–सरकारी संगठन, संस्थाएं, व्यक्ति इत्यादि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम पर अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आम लोगों तथा विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने जैसे प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसा भी सूचित किया गया है कि इनमे से कुछ संस्थाएं रोजगार दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से सुरक्षा राशि के रूप में धन एकत्रित कर रहीं हैं और अपनी वेबसाइट एवं अन्य दस्तावेज़ों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और पीएफआरडीए के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल भी कर रही हैं। अतः यह सूचित किया जाता है कि पीएफआरडीए ने किसी भी संस्था को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं किया है, जो कि गैर–कानूनी और धोखाधड़ी वाली है। ऐसा कोई भी संगठन/ व्यक्ति जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के लिए विनियामक संस्था के रूप में कार्य करता है और इसके कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है।

जन साधारण को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे संगठनों /व्यक्तियों द्वारा जारी ऐसे किसी भी भ्रामक एवं असत्य दुष्प्रचार पर ध्यान न दें और इसके प्रभाव में न आयें। प्राधिकरण, किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी भी अनधिकृत संस्थाओं /व्यक्तियों के साथ किये गये संव्यवहार के कारण होने वाली क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और व्यक्ति विशेष उसके लिए स्वयं ज़िम्मेदार होगा। जन साधारण से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों की जानकारी स्थानीय प्रशासन/पुलिस विभाग को दे और उसकी एक प्रति पीएफआरडीए को grc@pfrda.org.in पर दें।

यह सार्वजनिक सूचना जन साधारण के हित में जारी की जाती है।

दिनांक : 20.08.2015

आशीष कुमार
महाप्रबंधक